कार्यालय प्राचार्य, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

NAAC Grade= 'A' अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छत्तीसगढ़) College Code:- 3402
Office: 07774-235266; Mail ID: ggpgcollege.ambikapur@rediffmail.com website: http://rmdgirlspgcollege.ac.in

क्रमांक 293 / स्था / 2024. अम्बिकापुर, दिनांक 18.07.2024.

" अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु " संशोधित " विज्ञापन "

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक 574 / 126 / आउशि / राज. स्था. / 2024, रायपुर दिनांक 06.07.2024 एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मन्त्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3–54 / स्था. / 2020 / 38–1 दिनांक 21.06.2024 के आदेशानुसार अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अन्तर्गत **शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर** मे रिक्त प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक पद के विरूद्व अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन आमन्त्रित किया जाता है, इच्छुक तथा योग्य उम्मीदवार **दिनांक 25.07.2024 को सायं 05.00 बजे तक** पंजीकृत डॉक से अथवा स्वयं कार्यालय मे उपस्थित होकर समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दश्तावेज के साथ आवेदन जमा कर सकते है। चयन प्रकिया **अतिथि व्याख्याता नीति–2024** के परिपालन मे किया जायेगा। अतिथि व्याख्याता नीति–2024 का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल / वेबसाईट rmdgirlspgcollege.ac.in से किया जा सकता है। रिक्त पदो का विवरण निम्नानुसार है:–

रिक्त पदो का विवरण.

क्रमांक.	विषय.	प्राध्यापक.	सहा. प्राध्यापक	क्रमांक.	विषय.	प्राध्यापक.	सहा. प्राध्यापक.
01.	समाजशास्त्र.	01	---	03.	राजनीतिशास्त्र.	---	02
02.	गृहविज्ञान आहार एवं पोषण.	---	01				

शर्तें:–

01. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली व उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन रायपुर द्वारा निर्धारित योग्यताऐं मान्य होगी एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जायेगा।
02. अतिथि व्याख्याता पारिश्रमिक का भुगतान छ.ग. शासन के निम्नानुसार देय होगा।
03. अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगा।
04. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं वे लोक सेवक के विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
05. चयनित उम्मिदवार के विरूद्ध पुलिस या न्यायालय मे कोई अपराधिक प्रकरण लंबित न हो तथा वह अन्य शासकीय / अशासकीय सेवा मे न हो इस बावत सपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। अतिथि व्याख्याता एक साथ दो महाविद्यालयों मे अध्यापन कार्य नही कर सकेगा।
06. नियमित नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण तथा शासन की अन्य व्यवस्था के तहत प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक की पदस्थापना होने पर अतिथि व्याख्याताओ की नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
07. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, जाति / निवास एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरिण छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

प्राचार्य
शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर

पृ. कमांक२९५/स्था/2024. अम्बिकापुर, दिनांक 18.07.2024.

प्रतिलिपिः—01. आयुक्त, उच्च शिक्षा सचालनालय इन्द्रावती भवन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
02. अपर संचालनक, क्षेत्रीय कार्यालय सरगुजा सम्भाग अम्बिकापुर को सूचनार्थ।
03. प्राचार्य समस्त महाविद्यालय छ.ग. को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सूचना पटल पर चशपा करें।
04. सूचना पटल महाविद्यालयीन।
05. कार्यालय प्रति।

प्राचार्य
शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर